

बिहार अन्तर्गत बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन अधिनियम 2010

वाप संख्या -19/2013-14

-: आदेश :-

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कोईलवर अंचल के मौजा कुल्हाड़िया, थाना नं0-135, खाता नं0-1065, 739 के खेसरा नं0-2383, 2384, में कुल रकबा-94 डीस्मील (चौरान्चे डी0) भूमि जिसका वर्तमान दर सिंचित भूमि के रूप में प्रति डी0 7000/- (सात हजार) रुपये की दर से चौरान्चे डी0 भूमि का कुल मूल्य 6,58,000/- (छ: लाख अन्चावन हजार) रू0 होता है जिसका 10 प्रतिशत सम्परिवर्तन के रूप में 65,800/- (पैसठ हजार आठ सौ) रू0 होता है।

इस सम्बन्ध में उक्त मौजा की भूमि के सम्परिवर्तन हेतु आवेदक श्री सिद्धनाथ सिंह, वल्द-श्री-स्व0 धरीक्षण सिंह, ग्राम-सुन्दरपुर, पो0-बाग मझौवां, थाना-कोईलवर, जिला-भोजपुर द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उनके द्वारा भूमि के वर्तमान सिंचित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क के रूप में 65,800/- (पैसठ हजार आठ सौ) रू0 अनुमण्डल नजारात में जमा कर नाजीर रसीद संख्या-V-310962 दिनांक 25.11.2013 की मूल प्रति उपलब्ध कराया गया है।

अतः कोईलवर अंचल के मौजा कुल्हाड़िया, थाना नं0-135, खाता नं0-1065, 739 के खेसरा नं0-2383, 2384, में कुल रकबा-94 डीस्मील (चौरान्चे डी0) भूमि को (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के तहत व्यावसायिक कार्य (धरीक्षण सिंह टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुल्हाड़िया के निर्माण) हेतु सम्परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ता-
अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर आरा।


ज्ञापक 2971/गो0, आरा दिनांक 01 वीं DEC 2013।

प्रतिलिपि:- श्री सिद्धनाथ सिंह, वल्द-श्री स्व0 धरीक्षण सिंह, ग्राम-सुन्दरपुर, पो0-बाग मझौवां, थाना-कोईलवर, जिला-भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। भविष्य में यदि कोई सुधार की आवश्यकता होगी और सम्परिवर्तन शुल्क देय होगा तो आवेदक द्वारा शुल्क देना होगा।

प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, अमिअव/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, भोजपुर, आरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर आरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



20/11
अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर आरा।

अर्न्तगत बिहार कृषि भूमि के कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन अधिनियम 2010

वाद संख्या -19/2013-14

-: आदेश :-

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के अर्न्तगत कोईलवर अंचल के मौजा कुल्हाड़िया, थाना नं०-135,, खाता नं०-1065, 739 के खेसरा नं०-2383, 2384, में कुल रकबा-94 डीस्मील (चौरान्चे डी०) भूमि जिसका वर्तमान दर सिंचित भूमि के रूप में प्रति डी० 7000/- (सात हजार) रुपये की दर से चौरान्चे डी० भूमि का कुल मूल्य 6,58,000/- (छः लाख अठ्ठावन हजार) रू० होता है जिसका 10 प्रतिशत सम्परिवर्तन के रूप में 65,800/- (पैसठ हजार आठ सौ) रू० होता है ।

इस सम्बन्ध में उक्त मौजा की भूमि के सम्परिवर्तन हेतु आवेदक श्री सिद्धनाथ सिंह, वल्द-श्री स्व० धरीक्षण सिंह, ग्राम-सुन्दरपुर, पो०-बाग मझौवां, थाना-कोईलवर, जिला-भोजपुर द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में उनके द्वारा भूमि के वर्तमान सिंचित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क के रूप में 65,800/- (पैसठ हजार आठ सौ) रू० अनुमण्डल नजारात में जमा कर नाजीर रसीद संख्या-V-310962 दिनांक 25.11.2013 की मूल प्रति उपलब्ध कराया गया है ।

अतः कोईलवर अंचल के मौजा कुल्हाड़िया, थाना नं०-135,, खाता नं०-1065, 739 के खेसरा नं०-2383, 2384, में कुल रकबा-94 डीस्मील (चौरान्चे डी०) भूमि को (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के तहत व्यावसायिक कार्य (धरिक्षण सिंह टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुल्हाड़िया के निर्माण) हेतु सम्परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर आरा।

ज्ञापांक 2971/गो०, आरा दिनांक 01 वीं DEC 2013।

प्रतिलिपि:- श्री सिद्धनाथ सिंह, वल्द-श्री स्व० धरीक्षण सिंह, ग्राम-सुन्दरपुर, पो०-बाग मझौवां, थाना-कोईलवर, जिला-भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। भविष्य में यदि कोई सुधार की आवश्यकता होगी और सम्परिवर्तन शुल्क देय होगा तो आवेदक द्वारा शुल्क देना होगा ।

प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, अमिअव/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, भोजपुर, आरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर आरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर आरा।